निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

अपील संख्या 14/2025

1. श्रीमती पूजा पुत्री श्री चौथमल पत्नी श्री हनुमान आयु 26 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम खेडा(रामपुरा) तहसील लाडपुरा जिला कोटा,
2. श्रीमती ज्योति पुत्री श्री चौथमल पत्नी श्री अर्जुन आयु 24 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम देवरीघटा ग्राम पंचायत सलोतिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड। —अपीलाण्ट—

—बनाम—

1. जानकीलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा,
2. रामलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा,
3. मृतक जानकीबाई पुत्री श्री बिरधीलाल पत्नी श्री रामकल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जरिये कायम मुकाम :—

   3/1 रामावतार पुत्र श्री रामकल्याण जाति बैरवा निवासी कुंजबिहारी कॉलोनी, बारां जिला बारां मो.नं. 78775—57389

   3/2 प्रेमबाई पुत्री श्री रामकल्याण पत्नी श्री छोटूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम मायथा तहसील अटरू जिला बारां,

4. श्रीमती फूतरीबाई बेवा श्री चौथमल नाता पत्नी श्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा,
5. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद एवं पदेन उप—पंजीयक सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा। —रेस्पोडेण्ट्स—

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956, बनाराजी आदेश

ग्राम पंचायत हींगी तहसील सॉगोद, इन्तकाल संख्या 180 दिनॉक 05.09.2012 माल ग्राम जोगडा तहसील सॉगोद जिला कोटा।

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादी)
2. पेरोकार सरकार।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलाण्ट्स ने इस न्यायालय में एक अपील प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

- यह कि हुक्म जेर अपील कानून, न्याय एवम् तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

- यह कि खसरा नंबर 132 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 407 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नंबर 408 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नंबर 410 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 448 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नंबर 450 रकबा 1.07 हैक्टर आराजी वाके ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है।

- यह कि प्रार्थी अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट कं. 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका खानदानी सजरा निम्न प्रकार से है :–

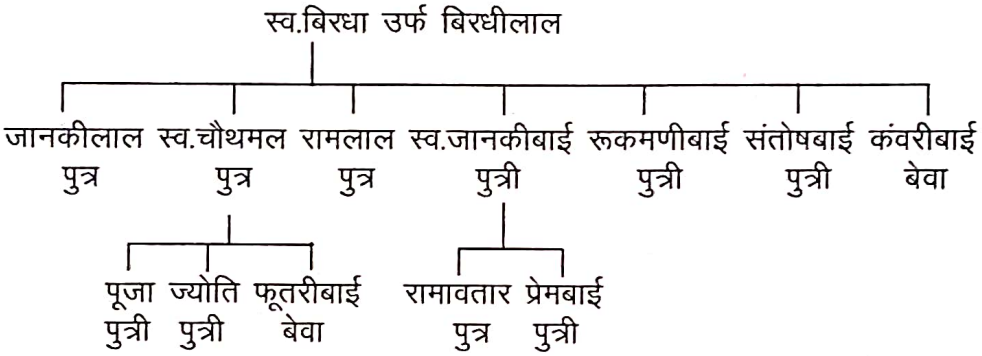

- यह कि अपीलाण्ट कं. 1 की 2 वर्ष की एवं अपीलाण्ट कं. 2 की आयु 1½ माह की अवस्था में ही अपीलाण्ट्स के पिता स्व.श्री चौथमल की मृत्यु हो गई थी तथा अपीलाण्ट्स के पिता स्व.चौथमल जी की मृत्यु के 2 वर्ष बाद अपीलाण्ट्स की माता रेस्पो0 सं0 4 फूतरीबाई समाज की प्रथा के अनुसार ग्राम मण्डाप निवासी रामकुंवार जी से नाता विवाह कर लिया था।

- चूंकि रेस्पो0 कं0 4 के नाते के जाने के समय अपीलाण्ट्स अल्पायु थी जिनकी सरपरस्ती के बाबत रेस्पो0 कं. 1 व 4 के मध्य तनाजा हो गया था जिसके चलते रेस्पो0 कं0 1 व रेस्पो0 कं0 4 के मध्य अपीलाण्ट्स की सरंक्षकता व लालन पालन को लेकर सिविल न्यायालय सांगोद में नियमित वाद संख्या 8/2008 विचाराधीन रहा जिसमें सिविल न्यायालय सांगोद द्वारा अन्तिम निर्णय–डिक्री दिनांक 05.05.2008 को पारित कर रेस्पो0 1 जानकीलाल व उसके पुत्रों रामभरोस, राजेन्द्र व पत्नी श्रवणीबाई को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे रेस्पो0 कं0 4 फूरीबाई की अल्पायु पुत्रियों पूजा व ज्योति के लालन–पालन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न करें तथा बिना विधिक प्रकिया अपनायें रेस्पो0 कं0 4 फूतरीबाई की पुत्रियों को उसकी संरक्षकता से पृथक न करें।

- यह कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद एवं अपीलाण्ट की माता रेस्पो0 कं0 4 के नाता विवाह के बाद अल्पायु अपीलाण्ट का पालन पोषण, परवरिश रेस्पो0 कं0 4 द्वारा ही की गई व अपीलाण्ट्स के बालिग होने पर शादी ब्याह भी रेस्पो0 कं0 4 द्वारा ही किये गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

• यह कि नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 की खतोनी संख्या 17, 18 व 19 में वादग्रस्त आराजी का 1/4 हिस्सा जानकीलाल, रामलाल, चौथमल पुत्रान जानकीबाई, रूकमणीबाई, सन्तोषबाई पुत्रियां, कंवरीबा बेवा बिरधीलाल के नाम दर्ज रेकार्ड था। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट के पिता चौथमल का 1/28 हिस्सा दर्ज रेकार्ड था जो सहखातेदार चौथमल की मृत्यु के बाद अपीलाण्ट्स व रेस्पो0 कं0 4 को विरासतन प्राप्त हुआ व रेस्पो0 सं0 4 द्वारा नाता विवाह करने से उसका हिस्सा भी कानूनन अपीलाण्ट्स में निहित हो गया किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट्स की हिस्सा आराजी को हडपने की नियत से चौथमल की मृत्यु वर्ष 2008 में होने का मिथ्या कथन करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की कूटरचना कर ली और उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत करके व पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत हींगी से परस्पर षडयन्त्र करके अपीलाण्ट के पिता स्व. चौथमल को कुंवारा होना बतलाकर हुक्म जैर अपील इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 05.09.2012 पारित करवाकर अपीलाण्ट के पिता चौथमल जी का नाम खाते से खारिज करवा दिया जबकि अपीलाण्ट स्व. चौथमल की जाईन्दा पुत्रियां हैं। लिहाजा फौती इन्तकाल में मृतक चौथमल के स्थान पर जाईन्दा पुत्रियों अपीलाण्ट्स का नाम बतौर वारिस दर्ज होना चाहिये था किन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के हिस्से की आराजी को हडपने की नियत से हुक्म जैर अपील के मार्फत अपीलाण्ट के पिता स्व.चौथमल का नाम खाते से खारिज करवा दिया जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त **"प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त"** के विरूद्ध होने से काबिल खारिजा है।

• यह कि हुक्म जैर अपील अपीलाण्ट के हितों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बैअसर होकर निष्प्रभावी व अवैधानिक है जो अपीलाण्ट्स को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोटेन्ट्स ने परस्पर मिलिभगत करके तैयार किया है किन्तु उक्त हुक्म जैर अपील के आधार पर किये गये अवैध इन्द्राजात के आधार पर रेस्पो. कं. 1 मौके पर अपीलाण्ट के हिस्से की आराजी को खुर्दबुर्द करने को आमादा हैं।

• यह कि हुक्म जैर अपील सरपंच द्वारा बिना अपीलाण्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना कब्जे की जॉच किये व बिना कोरम के अवैध रूप से पारित किया है जो अपीलाण्ट्स के हितों के विपरीत प्रारम्भ से ही शून्य व बैअसर होने से कानूनन काबिल खारिजा है।

• यह कि हुक्म जैर अपील से अपीलाण्ट्स के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है। अपीलाण्ट्स हुक्म जैर अपील से एग्रीव्ड होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

• यह कि उक्त अपील का श्रवण करने का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है तथा उक्त अपील उचित न्यायालय शुल्क पर माननीय न्यायालय में अवधि मध्य पेश है।

• अतः अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 05.09.2012 ग्राम जोगडा तहसील सॉगोद को न्यायहित में निरस्त फरमाया जाकर जायज वारिस अपीलाण्ट्स के हक में इन्तकाल खोले जाने के सादिर आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

उक्त आशय का अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। बावजूद तलबी रेस्पोडेन्ट्स कं. 1 लगायत 3 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अपीलाण्ट्स की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया। साथ ही वकील अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस में न्यायालय का ध्यान आक्षेपित इन्तकाल संख्या 180 की ओर आकर्षित करवाया जिसका अवलोकन करने से प्रकट होता है कि उक्त इन्तकाल के कॉलम संख्या 16 में पटवारी द्वारा रिपोर्ट किया है कि **"निवेदन हे कि सहखातेदार चोथमल कुंवारा फोत हो चुका है, अतः मृतक का नाम खाते से हटाने हेतु नामान्तरण दर्ज कर वास्ते स्वीकृति पेश है।"** वकील अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान निर्वाचन नामावली 1998 एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश सांगोद के वाद संख्या 8/2008 एवं उक्त वाद में सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय–डिक्री दिनांक 02.05.2008 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। निर्वाचन नामावली 1998 के कम संख्या 141 पर अपीलाण्ट्स के पिता चोथमल पुत्र बिरधीलाल का नाम व कम संख्या 143 पर अपीलाण्ट्स की माता फूतरीबाई पत्नी चोथमल का नाम अंकित है। वहीं सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय–डिक्री दिनांक 02.05.2008 से अपीलाण्ट्स की माता फूतरीबाई द्वारा उसकी पुत्रियों अर्थात् अपीलाण्ट्स पूजा व ज्योति के लालन–पालन करने एवं दोनों पुत्रियों को फूतरीबाई की संरक्षकता से पृथक नहीं करने हेतु रेस्पोडेण्ट कं. 1 जानकीलाल व अन्य को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त रिकार्ड से प्रथमदृष्टया ही यह प्रमाणित हो जाता है कि मृतक चोथमल अविवाहित नहीं था बल्कि वह फूतरीबाई से विवाहित था एवं उसके दो पुत्रियां पूजा व ज्योति मौजूद रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में मृतक चोथमल को कुंआरा फोत होना बताकर ग्राम पंचायत हींगी द्वारा इन्तकाल संख्या 180 से मृतक चोथमल का नाम खाते से हटाये जाने का जो आदेश पारित किया है, वह आदेश पूर्णतः अवैधानिक प्रकट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार मृतक चोथमल की मृत्यु के समय उसकी पत्नी फूतरीबाई एवं दो पुत्रियां पूजा व ज्योति मौजूद थी, लिहाजा मृतक चोथमल के स्थान पर उसके जायज वारिसों का नाम दर्ज होना विधिसम्मत था। यह भी गोरतलब है कि सिविल न्यायालय के निर्णय–डिक्री दिनांक 02.05.2008 के अनुसार रेस्पो0 कं0 4 फूतरीबाई द्वारा अपने पति चोथमल के देहान्त के बाद ग्राम मंण्डाप निवासी रामकुंवार से पुनर्विवाह कर लिया है जिसके कारण चोथमल की हिस्सा आराजी में फूतरीबाई का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु अपीलाण्ट्स मृतक चोथमल की जायज पुत्रियां होने से चोथमल के स्थान पर उनका नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर माल ग्राम जोगडा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 132 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 407 रकबा 1.03 हैक्टर, खसरा नंबर 408 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नंबर 410 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 448 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नंबर 450

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (जिला कोटा)

रकबा 1.07 हैक्टर आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत हींगी द्वारा पारित इन्तकाल संख्या 180 दिनांक 05.09.2012 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगोद को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड से इन्तकाल संख्या 180 का अमल हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड की तत्समय की स्थिति बहाल की जावे। तत्पश्चात् मृतक चोथमल की जायज वारिस अपीलाण्ट्स के पक्ष में फोती इन्तकाल तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30.3.2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/3/26

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद